(140)

(247)

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा, जिला रीवा म 0 प्र 0

R 5474-II/16

1:– रामावतार यादव तनय स्व 0 श्री लालमणि यादव

2:– रामशरण यादव तनय स्व 0 श्री लालमणि यादव

3:– रामभजन यादव तनय स्व 0 श्री लालमणि यादव

4:– राजेन्द्र यादव तनय स्व 0 श्री लालमणि यादव

5:– रामाश्रय यादव तनय श्री हीरालाल यादव

सभी निवासी ग्राम – तेदुन तहसील – सिरमौर जिला रीवा म 0 प्र 0

———————— निगरानीकर्तागण

बनाम

1:– जवाहर यादव तनय स्व 0 श्री मनोहर यादव

2:– जगजाहिर यादव तनय स्व 0 श्री मनोहर यादव

दोनो निवासी ग्राम – तेदुन तहसील सिरमौर जिला रीवा म 0 प्र 0

———————— गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त बैकुन्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा म 0 प्र0 द्वारा पारित सीमांकन राजस्व प्रकरण कमांक 166 ए / 12/ 015/016 मे पारित आदेशदि0 14 /7/ 2016 के सम्बंध मे ।

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र 0 भू0 रा 0सं0 सन 1959 ई 0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

रामशरण यादव रामाश्रय यादव

रामभजन यादव राजेन्द्र यादव

(140)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग05474/II/2016 जिला–रीवा

रामावतार यादव/जवाहरलाल यादव

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आदित्य सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त बैकुण्ठपुर, तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 166/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	